मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी–अप्रैल, 1996 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 1996 (माघ 27, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज़ एक्ट,1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निर्यात निगम मर्यादित का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री रघुनन्दन शर्मा, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के बड़ागांव निवासी एक व्यक्ति को डकैत बताकर पुलिस द्वारा हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के लालबर्रा विकासखण्ड में ट्रांसफार्मर चोरी की घटनायें होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री मांगीलाल भण्डारी, सदस्य, सीहोर शक्कर मिल द्वारा कृषकों से गन्ना क्रय न किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, बच्चन नायक, प्रेम प्रकाश पाण्डेय, सदस्य कोरबा औद्योगिक क्षेत्र से एक बालक का अपहरण कर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, सीहोर शक्कर मिल द्वारा कृषकों के गन्ने की बकाया राशि का भुगतान न किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री भूपेंद्र सिंह, गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, दमोह स्थित डायमण्ड सीमेंट फैक्ट्री के विस्फोट से मकानों एवं प्रदूषण से फसलों की क्षति होने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य, कैलारस शक्कर कारखाने द्वारा कृषकों के गन्ने की बकाया राशि का भुगतान न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री महेन्द्र सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री, दिनांक 10 मार्च 1995 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक 1872) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

5. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री अम्बिका शुक्ल, सदस्य, द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 1996 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

6. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

60 मि. (1) श्री सुरेन्द्र वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"इस सदन का मत है कि प्रदेश में विधायक निधि से कराये जाने वाले नये निर्माण कार्यों के साथ, नियमावली में पुराने शासकीय भवनों की मरम्मत का भी प्रावधान किया जावे।"

30 मि. (2) श्री चिरोंजी लाल सोनकर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे: -

"इस सदन का मत है कि प्रदेश में उगने वाली गाजर घास को समय पर नष्ट करने की कार्यवाही की जावे।"

30 मि. (3) श्री सोबरन सिंह मावई, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"इस सदन का मत है कि प्रदेश में शासकीय सेवाओं में सामान्य वर्ग व पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध को हटा कर नियुक्तियां प्रारंभ की जावे।"

7. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

दिनांक 28 नवम्बर, 1995 को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्रमांक 885) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री पूरनमल शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 15 फरवरी, 1996

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा